UPBD010037392025

न्यायालय—सेशन न्यायाधीश, बांदा।

उपस्थित—अल्पना ....उच्चतर न्यायिक सेवा।

(जे0ओ0 कोड नं0 यू0पी0—05748)

दाण्डिक अपील सं0—61/2025

1. आत्माराम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
2. रामचन्द्र सिंह पुत्र आत्माराम सिंह।
3. रमेश सिंह उर्फ लालू पुत्र आत्माराम सिंह।

निवासीगण—ग्राम—जमालपुर, थाना—कोतवाली देहात, जिला—बांदा।

.................अपीलकर्तागण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य

...............................प्रत्युत्तरदाता

निर्णय

1. अपीलकर्तागण आत्माराम सिंह आदि की ओर से यह दाण्डिक अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0), बांदा द्वारा वाद सं0 1225/नौ/2019, अ0सं0 88/2004 सरकार बनाम आत्माराम सिंह आदि, अन्तर्गत धारा—323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 अन्तर्गत थाना—को0 देहात, जिला—बांदा में पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. संक्षेप में अपीलकर्तागण ने अपनी अपील में यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश तारीखी 08.09.2025 कानूनन व वाक्यातन (विधितः एवं तथ्यतः) हर दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है तथा कतई पोषणीय नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में आये साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण विधिक दृष्टिकोण से न करके सरसरी तौर पर आदेश पारित करके न्यायिक भूल की है। चूंकि अभियोजन पक्ष ने एक्सरे रिपोर्ट को रेडियोलॉजिस्ट अथवा द्वितीयक साक्ष्य से साबित नहीं किया है, इसलिये कानूनन एक्सरे रिपोर्ट तारीखी 08.06.2004 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक्सरे रिपोर्ट पर वस्तु प्रदर्श 01 किस कानूनी आधार पर डाला गया है, अथवा किस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर एक्सरे रिपोर्ट तारीखी 08.06.2004 पर वस्तु प्रदर्श 01 डाला गया है, इस सम्बन्ध में निर्णय एवं आदेश तारीखी 08.09.2025 में कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दर्शाया है। पत्रावली में एक्सरे रिपोर्ट साबित करने के

Digitally signed by ALPANA SHARMA
Date: 2026.07.02 15:55:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए वह साक्ष्य में पढ़ी नहीं जा सकती है। इस प्रकार धारा–325 भा०दं० विधान का जो आरोप लगाया गया है, उसको साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। आघात आख्या की केवल चोट नं0–2 के आधार पर सभी तीनों अपीलकर्तागण को धारा–325 भा०द० संहिता के अपराध में दण्डित किया गया है, जबकि कथित मजरूब अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र सिंह ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त विशेष चोट नं0–2 किस विशेष अभियुक्त द्वारा पहुंचायी गई है। चूंकि संदेह से परे उक्त तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक था और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है कि उक्त चोट नं0–2 किस विशेष अभियुक्त द्वारा पहुंचायी गयी है, इसलिये हम सभी अपीलकर्तागण को धारा–325 भा०द० संहिता के अपराध में दण्डित करके अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक त्रुटि की है। विशेष रूप से उस दशा में जबकि अभियोजन द्वारा एक्सरे रिपोर्ट को साक्ष्य द्वारा साबित भी नहीं कराया गया है। चूंकि उक्त चोट नं0–2 केवल एक व्यक्ति द्वारा ही पहुंचाया जाना संभाव्य है, इसलिये उसके लिए सभी अपीलकर्तागण को बिना विशेष साक्ष्य के दण्डित किया जाना एक न्यायिक तथ्यात्मक विधिक त्रुटि है। वादी मुकदमा ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में उसको डण्डों से मारने की बात लिखायी है, जबकि पी०डब्लू0–1 ने पृष्ठ 8 में अपनी जिरह में यह बात कही है कि रामचन्द्र, रमेश, आत्माराम मुल्जिमान उसके भाई को लाठी से मारपीट रहे थे। इस प्रकार पी०डब्लू0–1 का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी है। पी०डब्लू0–1 ने पेज 7 में यह साक्ष्य दिया है कि वह घटना के समय घर के अन्दर था, इससे यह बात साबित है कि पी०डब्लू0–1 ने घटना नहीं देखी है। पी०डब्लू०–1 ने अपनी जिरह के पृष्ठ 8 में यह कथन किया है कि मुल्जिमान सत्येन्द्र को काफी देर तक लाठी–डण्डों से मारते रहे, तीनों मुल्जिमान के लाठियां मारने से उसके सामने सत्येन्द्र गिर गया था। पी०डब्लू०–1 ने पृष्ठ 8 में यह बात कही है कि सत्येन्द्र के दाहिने कंधे पर चोटें थी, पृष्ठ 9 में सत्येन्द्र के कंधे, कलाई कोहनी पर एक से ज्यादा लाठियां पड़ी थी, परन्तु चिकित्सीय मुआयने में सत्येन्द्र के कंधे पर कोई चोट नहीं पाई गई है। इससे पी०डब्लू०–1 धर्मेन्द्र का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से विरोधाभाषी है और स्वयं में विरोधाभाषी है तथा स्वयं यह भी कहा है कि घटना के समय वह घर के अन्दर था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पी०डब्लू०–1 वादी धर्मेन्द्र ने घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी है। पी०डब्लू0–2 कथित मजरूब साक्षी सत्येन्द्र ने अपने बयान के पृष्ठ 2 में यह बात कही है कि जिस समय मारपीट हुई थी, उस समय उसके साथ धर्मेन्द्र सिंह पी०डब्लू0–1 नहीं था। मारपीट के समय उसका भाई धर्मेन्द्र कितनी देर बाद आया था, वह नहीं बता सकता। पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र ने अपने बयान के पृष्ठ 2 में (जो वास्तव में पृष्ठ 4 है) यह बात कही है कि उसने अपनी तहरीर में डण्डों से मारने की बात लिखायी है। उसे यह याद नहीं है कि दरोगा जी से उसने अपने बयानों में लाठी डण्डों दोनों से मारना लिखाया है, यदि उसके बयानों में दरोगा जी ने लाठी डण्डों से

मारने की बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता, इस साक्षी ने मुख्य बयान में यह बात कही है कि मुल्जिमान ने लाठी डण्डों से मारा था, इस प्रकार उसका साक्ष्य विरोधाभाषी है। साक्षी पी०डब्लू0–2 ने पृष्ठ 3 (जो कि पृष्ठ 5 है) में यह बात कही है कि सभी मुल्जिमान ने मारा था, कितनी देर तक मारते रहे याद नहीं। कितनी–कितनी लाठियां मुल्जिमान ने मारा, याद नहीं है। यह भी नहीं गिना, उसे करीब 15 मिनट तक मारते रहे, परन्तु चिकित्सकीय मुआयने में मात्र तीन चोटें ही लिखी है, जिसमें कि चिकित्सक पी०डब्लू0–4 ने यह साक्ष्य पृष्ठ 3 में दिया है कि चोट नं0–1 व 2 एक ही लाठी से आने से इंकार नहीं किया जा सकता है, इससे स्पष्ट है कि चोट नं0–1 व 2 एक ही चोट है, इस प्रकार सत्येन्द्र के शरीर में मात्र दो ही चोटें हैं। इससे कथित मजरूब सत्येन्द्र का साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य के विपरीत है। इस प्रकार कथित मजरूब एकल साक्षी का साक्ष्य पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं है। इसके आधार पर पारित किया गया दण्डादेश त्रुटिपूर्ण है। पी०डब्लू0–2 ने पृष्ठ 3 (जो कि पृष्ठ 5 कहा जायेगा) में यह कथन किया है कि उसे चारों तरफ से लाठियों से मारा था, परन्तु मजरूब की कथित चोटें एक ही तरफ दाहिने हाथ में पायी गयी हैं, इससे पी०डब्लू0–2 का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य के विपरीत है। पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र ने पृष्ठ 3 (जो पृष्ठ 5 कहा जायेगा) में कथन किया है कि उसके दाहिने कंधे में लाठी लगी थी तथा कंधे वाली चोट उसने डॉक्टर साहब को दिखा दिया था तथा पूरे शरीर में चोटें आई थी, इससे पी०डब्लू0–2 का कथन मेडिकल साक्ष्य के विरूद्ध है। पी०डब्लू0–1 धर्मेन्द्र ने कथन किया है कि मारपीट के दौरान सत्येन्द्र गिर गया था, जबकि पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र ने अपने बयान के पृष्ठ(5) में कहा है कि वह मौके पर गिरा नहीं था। इस प्रकार पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 का साक्ष्य आपस में विरोधाभाषी है। पी०डब्लू०3 अभिलाष सिंह ने अपने बयान में कहा कि आत्माराम, रामचन्द्र व रमेश ने सत्येन्द्र सिंह को न तो मारापीटा न ही गाली–गलौज किया और न ही जान से मारने की धमकी दिया था, इस साक्ष्य से भी यह बात साबित होती है कि अभियुक्तगण ने सत्येन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं किया है और सत्येन्द्र ने झूंठा मुकदमा बनाया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 धर्मेन्द्र ने पृष्ठ 2 में कहा है कि उसकी निशादेही पर घटना स्थल पर जाकर विवेचक ने नक्शा नजरी बनाया था, जबकि उसी साक्षी ने आगे पृष्ठ 3 (जो कि पृष्ठ 5 है) में कहा है कि उसने विवेचक को घटनास्थल का मौका मुआयना नहीं कराया और न ही नक्शा नजरी बनवायी। उसने अदालत में आज से पहले कभी नहीं कहा कि उसकी निशादेही पर नक्शा नजरी बनाया गया था। पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू0–2 दोनों सगे भाई हैं, हितबद्ध साक्षी हैं। उनके साक्ष्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक बारीकी तौर पर मूल्यांकन किये जाने की विधि व्यवस्थाएं हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों साक्षियों के साक्ष्य को आंख मूंदकर स्वीकार करके दोषसिद्ध किया है। अभियोजन ने अपने केस को स्वतन्त्र साक्षीगण के द्वारा साबित नहीं किया है, उन्हें पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि यदि वे पेश

किये जाते तो वह अभियोजन केस का समर्थन नहीं करते। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/ अपीलकर्तागण द्वारा अपनी सफाई में प्रस्तुत किये गये स्वतन्त्र साक्षी डी०डब्लू०–1 शिवपूजन सिंह के साक्ष्य पर कोई ध्यान न देकर कानूनी भूल की है। एक मात्र स्वतन्त्र अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 अभिलाष सिंह पुत्र यशवन्त सिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने गांव में, इस घटना व घटना स्थल गांव के अन्दर होने के बारे में कुछ नहीं सुना। यह भी कहा है कि सत्येन्द्र सिंह ने उसे झूंठा गवाह बनाया है तथा डी०डब्लू0–1 शिवपूजन सिंह ने भी घटनास्थल गांव के बाहर तालाब के पास का बताया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों साक्षीगण के बयानों पर ध्यान न देकर मनमाने तरीके से त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं आदेश पारित किया है। धारा–325 भा०द० विधान में सजा के लिये कथित चोटहिल साक्षी पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र सिंह को अपने मौखिक साक्ष्य में उक्त कथित घातक चोट नं0–2 पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम बताना अत्यावश्यक था, किन्तु उसने जिरह में पूंछे जाने के बावजूद ज्यादा मारने वाले का नाम नहीं बताया और लगभग 15 मिनट तक मारे जाने की बात कहता रहा, इस प्रकार उक्त कथित चोट नं0–2 रेडियोलाजिस्ट से सांठ–गांठ करके फर्जी बनवायी गई प्रतीत होती है तथा अभियोजन ने एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने वाले रेडियोलॉजिस्ट को साक्ष्य में प्रस्तुत भी नहीं किया है तथा किसी भी साक्ष्य से उक्त एक्सरे रिपोर्ट को साबित भी नहीं कराई गई है, इसलिये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के कारण उसके आधार पर अपीलकर्तागण को धारा–325 भा०दं० विधान में सजा का आदेश सुनाया जाना एक त्रुटिपूर्ण आदेश है, जिसको निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तारीखी 08.09.2025 हर दृष्टिकोण से (विधितः एवं तथ्यतः) निरस्त किये जाने योग्य है। कतई पोषणीय नहीं है। अपीलकर्तागण द्वारा उपरोक्त परिस्थिति में अपील स्वीकार करने तथा सजा का निर्णय एवं आदेश तारीखी 08.09.2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. मेरे द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुनकर आपेक्षित निर्णय एवं दण्डादेश तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

4. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा सत्येन्द्र सिंह चन्देल पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम जमालपुर के द्वारा थाना कोतवाली देहात जिला बांदा में इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 दी गयी कि दिनांक 07.06.2004 को समय करीब 12.30 बजे दोपहर को उसके भाई धर्मेन्द्र से गांव के ही रमेश पुत्र आत्माराम सिंह ने करीब 6 माह पूर्व 500 रूपया किसी काम के लिये उधार लिया था, वही पैसा मांगने पर आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह तथा लालू उर्फ रमेश ने उसे डण्डों से बुरी तरह मारा–पीटा, गाली–गलौज किया, मारपीट में उसे काफी

चोटें आयीं हैं तथा मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गये थे जिन्होंने उसे बचाया तथा तीनों व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। घटना उसके घर के सामने की है। वादी के द्वारा रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी। वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात जिला बांदा में दिनांक 07.06.2004 को समय 13.30 बजे अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह तथा लालू उर्फ रमेश के विरूद्ध एन.सी.आर. सं०–33/2004 अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा.दं.सं. में दर्ज की गयी, जिसका खुलासा मुकदमा कायमी जी.डी. में किया गया तथा दौरान उपचार वादी मुकदमा सत्येन्द्र सिंह चन्देल की दाहिनी हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर पाये जाने के कारण मुकदमा एन.सी.आर. से तरमीम कर मुकदमा अपराध सं०–88/2004 अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा.दं.सं. में पंजीकृत किया गया। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व गवाहान के बयान लिखे गये तथा घ टनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 तैयार किया गया तथा समस्त विवेचना से संतुष्ट होने पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह तथा लालू उर्फ रमेश सिंह के विरूद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा. दं.सं. में आरोप पत्र प्रदर्श क–3 न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर प्रेषित आरोपपत्र के अनुक्रम में अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह तथा लालू उर्फ रमेश सिंह के विरूद्ध धारा– 323, 325, 504, 506 भा.दं.सं. का आरोप दिनांक 14.03.2008 को तत्कालीन ए.सी.जे.एम./सिविल जज(सी.डि.) बांदा द्वारा विरचित किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.–2 वादी मुकदमा सत्येन्द्र कुमार चन्देल, पी.डब्लू.–3 अभिलाष सिंह, पी.डब्लू.–4 डॉ० आर.पी. मिश्रा व पी.डब्लू.–5 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सियाराम यादव को परीक्षित कराया गया। अभियोजन के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, आघात आख्या प्रदर्श क–2, आरोपपत्र प्रदर्श क–3 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि झूठा बयान दिया गया है तथा उनके विरूद्ध पारिवारिक रंजिश के कारण मुकदमा चला तथा झूठा आरोप पत्र लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया कि सत्येन्द्र सिंह के द्वारा अभियुक्त आत्माराम की लड़की के साथ घटना वाले दिन जब लड़की शौच के लिये बाहर गयी थी तो उसे सत्येन्द्र ने बुरी नियत से पकड़ा था, वह चिल्लाई तो तमाम लोग ने सत्येन्द्र को मारा–पीटा तथा भागने पर उसे ईंट–पत्थर से मारा पीटा। वह रिपोर्ट करने गया था लेकिन लड़की को साथ नहीं ले गया था इसलिये उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

अभियुक्त पक्ष के द्वारा बचाव में शिवपूजन सिंह को डी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

6. विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन पक्ष व अभियुक्त पक्ष को सुनने के उपरान्त दिनांक 08.09.2025 को आपेक्षित निर्णय पारित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह एवं लालू उर्फ रमेश सिंह को धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उन्हें एक माह के साधारण कारावास से, धारा– 325 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष छः माह के साधारण कारावास से, धारा 504 भा.दं. सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं धारा 506 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह के साधारण कारावास के सजा से दण्डित किया गया। उक्त सभी सजायें साथ–साथ चलने तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में बितायी गयी सजा की अवधि को सजा में समायोजित किये जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

7. अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य तर्क यह रहा है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभाष है तथा पी.डब्लू.–1 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में अपने भाई को लाठी से मारा–पीटा जाना कहा गया है जबकि वादी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट में डण्डों से मारने का कथन है तथा पी.डब्लू.–1 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में घटना के समय घर के अन्दर होने का कथन किया गया है। पी.डब्लू.–1 के प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा चोटहिल सत्येन्द्र को काफी देर तक लाठी–डण्डों से मारने तथा सत्येन्द्र के गिर जाने का कथन है तथा इस साक्षी के अनुसार सत्येन्द्र के दाहिनी कंधे पर चोट थी लेकिन चिकित्सीय मुआयने पर कंधे पर कोई चोट नहीं पायी गयी है। अतः पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र के द्वारा घटना नहीं देखी गयी है। पी.डब्लू.–2 चोटहिल सत्येन्द्र के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि जिस समय मारपीट हुई थी उस समय उसके साथ धर्मेन्द्र नहीं था। पी.डब्लू.–2 के द्वारा सभी मुल्जिमान के द्वारा मारने का कथन किया गया है तथा 15 मिनट तक मारपीट की गयी लेकिन चिकित्सीय मुआयने में केवल तीन चोटें लिखी गयी हैं। चोटहिल सत्येन्द्र का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है। पी.डब्लू.–2 के द्वारा चारों तरफ से लाठी से मारना कहा गया है जबकि चोटें एक ही तरफ दाहिनी हाथ में पायी गयी है। पी.डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य में विरोधाभाष है तथा पी.डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–2 सगे भाई हैं तथा हितबद्ध साक्षी है। अभियुक्त पक्ष के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आघात आख्या की केवल चोट सं०–2 के आधार पर सभी अभियुक्तगण/अपीलकर्तागण को धारा–325 भा.दं.सं. के अपराध में दण्डित किया गया है जबकि पत्रावली में एक्सरे रिपोर्ट को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है तथा अभियोजन पक्ष के द्वारा एक्सरे रिपोर्ट को रेडियोलाजिस्ट अथवा द्वितीयक साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। अतः एक्सरे रिपोर्ट दिनांकित 08.06.2004 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि चोट सं०–2

किस विशेष अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गयी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 325 भा.दं.सं. के अपराध में अभियुक्तगण को दण्डित कर न्यायिक त्रुटि की गयी है।

8. अभियोजन पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 08.09.2025 को विधि सम्मत बताया गया है।

9. जहां तक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का प्रश्न है। अभियोजन के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथनों की पुष्टि हेतु 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें से पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र सिंह व पी.डब्लू.–2 सत्येन्द्र कुमार सिंह चन्देल घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। पी.डब्लू.–2 को घटना में चोटें आयी हैं। पी.डब्लू.–3 अभिलाष सिंह यद्यपि घटना का साक्षी है लेकिन इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया गया है तथा पी. डब्लू.–4 डॉ० आर.पी. मिश्रा के द्वारा आघात आख्या प्रदर्श क–2 को सिद्ध किया गया है एवं पी.डब्लू.–5 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सियाराम के द्वारा आरोपपत्र प्रदर्श क–3 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 को सिद्ध किया गया है। इस प्रकार घटना के संबंध में तथ्य के दो साक्षी पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र सिंह व पी.डब्लू.–2 सत्येन्द्र कुमार चन्देल है।

10. पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 07.06. 2004 को 12.30 बजे की घटना है। उस समय वह अपने घर में था तथा अपने भाई सत्येन्द्र सिंह की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि रामचन्द्र, लालू उर्फ रमेश, आत्माराम मुल्जिमान उसके भाई सत्येन्द्र को लाठी–डण्डों से मार रहे थे तथा भोसड़ीवाले व मादरचोद की गालियां दे रहे थे। उसने बीच–बचाव किया था, ललकारने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। लड़ाई इस बात पर हुई थी कि उसने 500 रूपये लालू को उधार दिये थे जिसे उसके भाई ने मांगा था। घटना की रिपोर्ट उसके भाई सत्येन्द्र ने थाना कोतवाली देहात में करायी थी तथा सत्येन्द्र का डाक्टरी परीक्षण व एक्सरे सरकारी अस्पताल बांदा में हुआ था। मुल्जिमानों की मारपीट से उसके भाई सत्येन्द्र के दाहिने हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गयी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के द्वारा अभियोजन कथन का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि वह सत्येन्द्र के साथ अस्पताल गया था। वह अस्पताल के भीतर नहीं गया था। होमगार्ड लेकर गया था। जब वह आवाज सुनकर घर से बाहर आया तो सत्येन्द्र को आत्माराम, रामचन्द्र, रमेश उर्फ लालू मार रहे थे। तीनों अपने हाथ में लाठियां लिये हुए थे। वह अपने भाई की बचाने की आवाज सुनकर बाहर आया था। उसे घर से बाहर निकलने में 02 मिनट लगे थे। मुल्जिमान सत्येन्द्र को लाठी–डण्डों से काफी देर मारते पीटते रहे। 10–15 मिनट मारा हो तो वह समय नहीं बता सकता तथा तीनों मुल्जिमान के हाथ में लाठी मारने से सत्येन्द्र जमीन पर गिरा था। सत्येन्द्र के गिरने के बाद मुल्जिमानों ने उसे नहीं मारा था। सत्येन्द्र की दाहिनी कोहनी से खून बह रहा था,

दाहिनी कलाई पर चोट थी तथा दाहिनी कंधे पर चोट थी। उसने अपने भाई सत्येन्द्र से कहा था कि रमेश दिखे तो पैसे मांग लेना इसलिये उसने पैसा मांगा तो मुल्जिमानों ने उसे मारा था। पी.डब्लू.–1 के द्वारा बचाव पक्ष के इस कथन को गलत बताया गया है कि घटना वाले दिन मुल्जिम आत्माराम की लड़की शौच के लिये घर के बाहर गांव के किनारे गयी हो तथा सत्येन्द्र ने उसे पकड़ा हो एवं लड़की की गुहार पर गांववाले जुट गये तथा सत्येन्द्र को मारा–पीटा। सत्येन्द्र मौके से भाग गया हो तथा बाद में झूठा मुकदमा मुल्जिमान के विरूद्ध कायम करा दिया हो।

11. पी.डब्लू.–2 चोटहिल सत्येन्द्र कुमार सिंह के द्वारा भी घटना का समर्थन अपने साक्ष्य में किया गया है तथा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 07.06.2004 को करीब 12.30 बजे दोपहर की है। उसके भाई धर्मेन्द्र से गांव के रमेश ने छः माह पूर्व 500 रूपया लिये थे किसी काम के वास्ते उधार का पैसा मांगने पर लालू उर्फ रमेश, रामचन्द्र एवं आत्माराम ने उसे लाठी–डण्डों से मारा एवं गाली–गलौज किया एवं जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से दाहिने हाथ में चोट आयी थी। कलाई व कोहनी में चोट आयी थी। दाहिने हाथ की कोहनी चोट के कारण फट गयी थी। उसके द्वारा तहरीर थाने में दी गयी तथा उसकी चोटों का मुआयना जिला अस्पताल बांदा में हुआ था तथा जिला अस्पताल बांदा में एक्सरे हुआ था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के द्वारा बचाव पक्ष के इस कथन को गलत बताया कि उसके साथ मारपीट गांव के बाहर हुई थी तथा यह कथन किया गया है कि जिस समय मारपीट हुई उस समय धर्मेन्द्र नहीं था। मारपीट के समय उसका भाई किस समय आया वह समय नहीं बता सकता। सभी मुल्जिमान ने उसे मारा था। कितने देर तक मारते रहे यह उसे याद नहीं। मारपीट के दौरान ही उसका भाई आ गया था। उसका भाई उसे बचाने उसके पास नहीं आया था घर के बाहर से चिल्लाया था। उसके आने के बाद मुल्जिमान ने एक भी लाठी नहीं मारी थी। उसके दाहिने कंधे में लाठी लगी थी। दाहिने हाथ की कोहनी में चोट थी। उसके शरीर में दर्द था। इस साक्षी के द्वारा इस कथन को भी गलत बताया है कि मुल्जिम आत्माराम की लड़की बाहर शौच के लिये गयी हो तथा उसे पकड़ा हो तथा लड़की के शोर मचाने पर गांव के लोग ने उसे बाहर मारापीटा था।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के सम्बन्ध में तथ्य के दोनों ही साक्षी पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र सिंह व पी.डब्लू.–2 सत्येन्द्र सिंह के द्वारा घटना की पुष्टि की गयी है तथा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा सत्येन्द्र कुमार सिंह के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे उसके चोटें आयी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पत्रावली पर दाखिल है तथा अभियोजन के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर आर.पी. मिश्रा को पी.डब्लू.–4 को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा यह पुष्टि की गयी है कि दिनांक 07.06.2004 को वह जिला अस्पताल बांदा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था तथा उस दिन उसने सत्येन्द्र

सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना 3.15 पी.एम. पर किया था जिसे होमगार्ड 1367 लाये थे। तथा उसके शरीर पर तीन चोटें पायी गयी।

1. फटा हुआ घाव दाहिनी भुजा के पृष्ठ भाग पर लम्बवत् दिशा में 3 X 1.5 सेमी. मासपेशियों तक गहना दाहिनी कोहनी से 3.5 सेमी. ऊपर खून का रिसाव मौजूद था।

2. नीलगू निशान 6 X 2.5 सेमी. दाहिनी भुजा के पृष्ठ भाग पर 3.5 सेमी. दाहिनी कोहनी के ऊपर लाल रंग की सूजन के साथ, सूजन का क्षेत्रफल 12 X 10 सेमी. और डिफार्मिटी मौजूद।

3. नीलगू निशान 7 X 2 सेमी. दाहिनी अग्र भुजा के पृष्ठ भाग में लाल रंग का निशान तिरछी दाहिनी कोहनी के 5 सेमी. पर थी तथा उसकी राय में समस्त चोटें ठोस व कुन्दालय से आयी थी तथा अवधि ताजा है। चोट सं०–2 के अतिरिक्त अन्य चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा चोट नं०–2 को एक्सरे की सलाह दी गयी तथा मरीज को भर्ती कर हड्डी रोग विशेषज्ञ को संदर्भित किया गया। चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटें दिनांक 07.06.2004 को समय 12.30 बजे लाठी–डण्डों से आना संभव है। प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–4 चिकित्सक के द्वारा यह कथन किया गया है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ के बारे में उसे जानकारी नहीं है।

13. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सत्येन्द्र के जो चोटें आयी हैं वह दाहिनी तरफ है जबकि पी.डब्लू.–2 के अनुसार उसे चारों तरफ से लाठी–डण्डों से मारा गया। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया है कि पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र घटना के समय घर के अन्दर मौजूद था। इस संबंध में यदि अभियोजन साक्षी पी. डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य को देखा जाये तो दोनों ही साक्षियों के द्वारा यह कथन किया गया है कि पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र अपने भाई पी.डब्लू.–2 सत्येन्द्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस साक्षी के द्वारा घटना को न देखा गया हो। इसके अतिरिक्त स्वयं घटना में आहत पी. डब्लू.–2 सत्येन्द्र कुमार सिंह के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह व रमेश सिंह के द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा लाठी–डण्डों से मारा गया। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि घायल को आयी चोटें कुन्द हथियार से आयी है तथा लाठी से आना संभव है तथा घटना दिनांक 07.06.2004 को समय 12.30 बजे दोपहर की है। इसकी सूचना बिना किसी विलम्ब के दिनांक 07.06.2004 को समय 13.30 बजे थाना कोतवाली देहात में दी गयी है तथा घटना वाले दिन ही 3.15 बजे घायल सत्येन्द्र कुमार सिंह का चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ है। अभियुक्तगण के द्वारा अपने बचाव में यह कथन किया गया है कि वादी सत्येन्द्र कुमार सिंह के द्वारा अभियुक्त आत्माराम की लड़की का हाथ पकड़ लिया गया था तथा घटना गांव के बाहर की है तथा लोगों के द्वारा उसे मारापीटा गया। इस प्रकार अभियुक्त पक्ष के द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दिनांक 07.06.

2004 को सत्येन्द्र कुमार सिंह को चोटें आयी हैं तथा वादी मुकदमा सत्येन्द्र कुमार सिंह के द्वारा बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये इन कथनों से इंकार किया गया है कि उक्त चोटें उसे गांव के बाहर आयी हों तथा उसके द्वारा कोई छेड़छाड़ अभियुक्त आत्माराम की लड़की के साथ की गयी हो तथा अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथन की पुष्टि की गयी है।

14. जहाँ तक कुछ विरोधाभाष का प्रश्न है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था **रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 5 एस.सी.सी. 777** में यह मत व्यक्त किया गया है कि *यदि किसी गवाह के बयान में कोई महत्वपूर्ण तात्विक विसंगतियां या विरोधाभाष नहीं है तो केवल कुछ सामान्य प्राकृतिक या मामूली विरोधाभाषों, विसंगतियों, अतिश्योक्तियों, अलंकरणों आदि के आधार पर उसके साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विसंगतियों एवं सामान्य विसंगतियों के बीच अन्तर यह है कि मामूली विसंगतियां किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती है लेकिन महत्वपूर्ण विसंगतियां ऐसा करती हैं।*

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था **मकसूदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983 एस.सी.सी. 218** में विसंगति और उसके मूल्यांकन के संबंध में यह मत व्यक्त किया गया है कि *गवाहों के बयानों और प्राथमिकी में वार की संख्या के संबंध में मामूली विसंगतियां होना और यह बताये जाने में विफल रहना कि किसने किसको मारा अपने आप में गवाहों के बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। इसके विपरीत यह दर्शाता है कि गवाहों को सिखाया पढ़ाया नहीं गया था तथा उसने स्वाभाविक गवाही दी थी।*

16. बचाव पक्ष के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप में गलत रूप से दण्डित किया गया है क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट को अभियोजन के द्वारा सिद्ध नहीं कराया गया और न ही कोई द्वितीयक साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को सिद्ध कराये जाने हेतु पी.डब्लू.–4 डॉ० आर.पी. मिश्रा को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि चोटहिल सत्येन्द्र सिंह के शरीर पर आयी चोट सं०–2 को एक्सरे की सलाह दी गयी। अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त चोट के संबंध में की गयी एक्सरे रिपोर्ट को किसी भी साक्षी के साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं कराया गया है जबकि आरोप पत्र में गवाहान सूची में डॉ. आर.पी. गुप्ता के नाम का उल्लेख है लेकिन अभियोजन के द्वारा उन्हें साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया न ही अभियोजन पक्ष की ओर से इसका कोई स्पष्टीकरण है कि उक्त साक्षी को परीक्षित क्यों नहीं कराया गया है। एक्सरे रिपोर्ट को सिद्ध किये जाने हेतु कोई द्वितीयक साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–4 डॉ० आर.पी. मिश्रा के जरिये उक्त

रिपोर्ट को सिद्ध किया गया है। पी.डब्लू.–4 के साक्ष्य में यह कथन आया है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अतः यह दर्शित होता है कि एक्सरे के लिये संदर्भित किये जाने के उपरान्त एक्सरे रिपोर्ट साक्षी पी.डब्लू.–4 के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, न ही कोई पूरक रिपोर्ट चोट सं०–2 की प्रकृति के संबंध में तैयार की गयी। विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 08.09.2025 में यह उल्लेख किया गया है कि एक्सरे रिपोर्ट वस्तु प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध करायी गयी हो लेकिन किसी भी साक्षी के साक्ष्य में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः जहां तक धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न है इसके लिये अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना था कि चोटहिल के शरीर पर आयी चोट सं०–2 गंभीर प्रकृति की है लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा एक्सरे रिपोर्ट को एक्सरे करने वाले चिकित्सक या अन्य द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा सिद्ध नहीं कराया गया है। चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के द्वारा चोट सं०–2 की प्रकृति के संबंध में कोई पूरक रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। इस प्रकार जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा उसके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट को सिद्ध नहीं कराया गया है।

17. इस प्रकार जहाँ तक धारा 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपों का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 504 व 506 भा.दं.सं. का आरोप मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है लेकिन धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप को सिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए धारा 325 भा.दं.सं. के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 08.09.2025 में अभियुक्तगण को धारा 323, 504 व 506 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किये जाने के संबंध में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

18. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये।

19. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि अभियुक्तगण को वे अपराध जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की व्यवस्था न हो उन अपराधों के दोषी अभियुक्तगण को न्यायालय परिवीक्षा पर भी छोड़ सकता है। धारा 5 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम पर न्यायालय यह भी आदेश कर सकता है कि जो सिद्धदोष व्यक्ति छोड़े जा रहे हैं उनके द्वारा घटना में जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनको क्षतिपूर्ति भी प्रदान करें।

20. क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. का आरोप युक्तियुक्त संदेह

से परे सिद्ध होता है तथा इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा दिये गये निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि नहीं है जबकि धारा 325 भा.दं.सं. का आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है। अतः न्यायालय के मत में सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है तथा धारा 5 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

21. अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 08.09.2025 इस सीमा तक संशोधित किये जाने योग्य है कि अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह व रमेश उर्फ लालू को धारा 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण को जिला कारागार भेजने के स्थान पर उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये तथा पीड़ित सत्येन्द्र कुमार सिंह को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

22. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह एवं रमेश सिंह उर्फ लालू की धारा 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धी के संबंध में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 08.09.2025 की पुष्टि की जाती है तथा विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त की धारा 325 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अभियुक्तगण को दण्डादेश देने की बजाए प्रोबेशन एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी, बांदा के अधीन एक वर्ष के सदाचार के प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है। अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह, रमेश सिंह उर्फ लालू जिला प्रोबेशन अधिकारी, बांदा के समक्ष बीस–बीस हजार रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करें तथा अभियुक्तगण के द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाये कि वे प्रोबेशन अवधि में सदाचार बनाये रखेंगे, शांति कायम रखेंगे तथा कोई त्रुटि होने पर विद्वान विचारण न्यायालय के बुलाये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेंगे।

24. धारा 5 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्षतिपूर्ति या हर्जा प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय क्रिमि० अपील संख्या 689/2013

अंकेश शिवाजी गायकवार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र निर्णय दिनांकित 03.05.2013 जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम में रिपोर्टेड है, में यह निष्कर्ष दिया गया है कि धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक न्यायालय का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह परीक्षण करें कि पक्षकार को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना चाहिये या नहीं।

25. अतः वाद के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए वादी/चुटहिल सत्येन्द्र कुमार सिंह को अभियुक्तगण से 7500/–रूपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण आत्माराम सिंह, रामचन्द्र सिंह, रमेश सिंह उर्फ लालू प्रत्येक वादी को उक्त प्रतिकर की धनराशि प्रदत्त किये जाने हेतु 2500/–2500/– रूपये विचारण न्यायालय में जमा करेंगे जिसे वादी/चुटहिल सत्येन्द्र कुमार सिंह को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदत्त किया जायेगा।

26. आदेश की प्रति संबंधित पत्रावली सहित अनुपालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को यथाशीघ्र सम्प्रेषित की जाये।

(अल्पना)
दिनांकः 02.07.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(अल्पना)
दिनांकः 02.07.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)